Form no. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

राजेश देवी आदि बनाम वेद प्रकाश आदि

किस्म मुकदमाः–अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रकरण संख्याः–73/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हए
09.9.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील रेस्पोडेंट संख्या 2, 3/1 ता 3/4, 8 की ओर से वकील श्री दिनेश कुमार हाजिर। वकील अपीलांट अनुपस्थित। वकील अपीलांट को बार–बार आवाज लगाई गई परन्तु वकील अपीलांट हाजिर नहीं आये। अतः अपील अपीलांट अदम पैरवी, अदम हाजरी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। चूंकि हस्तगत अपील संख्या 73/15 व इस न्यायालय जैरकार अपील संख्या 105/14 को कंसोलिडेट करने हेतु दिनांक 14.12.2017 को आदेश दिये गये थे। हस्तगत प्रकरण संख्या 73/2015 के अपीलांटगण राजेश देवी व कौशल्या देवी अपील संख्या 105/2014 में रेस्पोडेंट संख्या 5 व 4 पर अंकित है। अतः हस्तगत अपील को दाखिल दफ्तर किया जाता है तथा अपील संख्या 105/2014 के वकील अपीलांट के निवेदन पर अपील संख्या 105/2014 पुनः प्रारम्भ किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस अपील में शामिल किये गये प्रार्थी रमेश कुमार आदि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र तथा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 एवं धारा 151 सीपीसी मय शपथ पत्र की फोटोकॉपी इस न्यायालय की अपील संख्या 105/15 में शामिल की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (अरविन्द कुमार जाखड़) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 12:03:35 IST
Reason: SelfAttested

F:\form no. 3.doc

1048

Scanned by CamScanner